न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, ग्वालियर केम्प भोपाल म.प्र.

निगरानी-6224/2018/होशंगाबाद/भू.रा. प्र.क................/2018

लखन आ0 रामगोपाल बैरागी

निवासी—ग्राम सेमरी हरचंद,

तह0—सोहागपुर, जिला होशंगाबाद म.प्र. ----- निगरानीकर्ता

विरूद्ध

डालचंद आ0 रामगोपाल दास बैरागी,

निवासी—ग्राम सेमरी हरचंद

तह0—सोहागपुर, जिला होशंगाबाद म.प्र. ----- रेस्पोंडेंट

द्वारा आज दि. 31.10.18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 1.11.18 नियत। 31.10.18 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता द्वारा माननीय अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण क. 20/अपील/2016—17 पक्षकार लखनलाल विरूद्व डालचंद में पारित आदेश दिनांक 25.09.2018 से दुखित एवं व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न निगरानी प्रस्तुत हैः—

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6224/2018/होशंगाबाद/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-11-18	आवेदकपक्ष की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह प्रकरण सुनवाई हेतु अग्राहय किया जाता है । अध्यक्ष	